



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक :एफ4(151)आयो/आकाशि/पद/2023-24/पार्ट/-05867

**:- आदेश :-**

राजकीय महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध रेक्सकों/होमगार्ड से कार्मिक रखे जाने एवं उक्त का भुगतान बजट उपमद 41-संविदा व्यय से किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. राजकीय महाविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक महाविद्यालय में कार्यरत (नियमित/सोसायटी के माध्यम से नियुक्त) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या 02 से कम होने की स्थिति में रेक्सकों/होम गार्ड/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या 01 होने पर 01 पद के विरुद्ध व कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या शून्य होने पर 02 पदों के विरुद्ध उक्तानुसार सेवायें ली जा सकेंगी।
2. उक्त सेवाओं के विरुद्ध राशि का व्यय बजट उपमद 41 से वहन किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव यथासमय प्रेषित किये जाने का परामर्श प्रदान किया जाता है।
3. किसी भी महाविद्यालय में नियमित/सोसायटी के माध्यम से पदस्थापन हो जाने अथवा स्थानान्तरण के कारण कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की संख्या 02 हो जाने पर यह सहमति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
4. किसी भी स्थिति में महाविद्यालय में कार्यरत नियमित/संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या महाविद्यालय हेतु स्वीकृत कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई.डी. संख्या 152400936 दिनांक 03.05.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

—हस्ताक्षरित—  
( आयुक्त )  
कॉलेज शिक्षा

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेशानुसार महाविद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार वित्तीय प्रावधान स्वीकृत कराने की कार्यवाही करावें।
6. संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेशानुसार आगामी कार्यवाही करावें।
7. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
7031593



**Signature valid**

Digitally signed by Pankaj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.09 10:02:05 IST  
Reason: Approved